न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 52/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1958

उनवान

कैलाश पुत्र बालूराम ब्राहम्ण निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा

बनाम

1. ... सिंह उर्फ सुरेन्द्रसिंह पिता खानसिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
2. ... रामसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
4. ठाकुर लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवसिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
5. ठा. शंकर सिंह पुत्र भवरसिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
6. ... पुत्र बालूराम शर्मा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
7. ... नारायणसिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा
8. ... धारी जी मंदिर जरिये पुजारी हनुमानदास पुत्र सोहनदास निवासी शिवपुरी तहसील ...

उपस्थित श्री दीपक पारीक
अधिवक्ता प्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक 12/01/21

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 ... विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर** 1305 **रकबा** 0.20 **है0**, 2360/1174 रकबा 0.26 है0 कुल **किता** 2 रकबा 0.46 **है0** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। ... विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये ... सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण ... सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई ... पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शिवपुरी संवत** 2074 से 2077 का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात ... पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवपुरी स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात **किता** 2 **रकबा** 0.46 **है0 हैक्टेयर** ... पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई ... न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन** में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर ... 100/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। ... मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/21 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.